मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

मध्य प्रदेश को वितरण कंपनियों द्वारा प्राप्त अनुपालन मानदण्डों की वर्ष 2008–09 के दौरान उपलब्धियों का प्रकाशन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 59 (2) के अनुसार राज्य नियामक आयोग द्वारा निर्धारित कार्य विधि के मानदण्डों की लाईसेंसधारियों द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान अनुपालन के स्तर (जो वितरण कंपनियों द्वारा आयोग को उपलब्ध कराया गया है) को प्रकााशित किया जाना है।

(अ) आयोग ने निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए है:

1. खराब/जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने बाबत्	:	शहरों में एक दिन के अन्दर गाँव मे अधिक से अधिक 7 दिन के अन्दर
2. लाइन ब्रेकडाउन को ठीक करना	:	शहरों में 12 घंटे के अन्दर गाँव मे 3 दिन के अन्दर
3. फ्यूज़ सुधारना	:	शहरों में चार घंटे के अन्दर गाँव मे 24 घंटे के अन्दर
4. प्रदाय में पूर्व निर्धारित रूकावट	:	एक बार में लगातार 8 घंटे से अधिक नही
5. (अ) खराब मीटरों की जांच	:	शिकायत के 7 दिन के भीतर
(ब) खराब व बंद मीटरों का बदलना	:	शहरों में 15 दिन के भीतर गाँव मे 30 दिन के भीतर
(स) जले हुए मीटरों का बदलना	:	शिकायत के 7 दिन के भीतर
6. नये कनेक्शन देना		
निम्ब दाब पर	:	आवेदन के 30 दिन के भीतर यदि कनेक्शन देने में किसी प्रकार का विस्तार कार्य नहीं होना हो।
उच्च दाब पर	:	75 दिन के भीतर यदि कनेक्शन देने में किसी प्रकार का विस्तार कार्य नहीं होना हो।
7. कनेक्शन का नामांतरण	:	10 दिन के भीतर
8. बिजली के गलत बिलों में सुधार	:	1 दिन के भीतर यदि कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक न हो शहर में 5 दिन के भीतर एवं गाँव में 10 दिन के भीतर यदि अतिरिक्त जानकारी लेना आवश्यक हो

(ब) विस्तृत मानदण्ड का ब्यौरा एवं उपलब्धि संबंधी प्रकाशन आयोग की वेबसाइट (www.mperc.com) से अथवा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

(स)

(i) तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार लाईसेंसधारियों का उपभोक्ता सेवाओं में अनुपालन स्तर वर्ष 2008–09 में निम्न अनुसार रहा है :–

उपभोक्ता सेवा	कम्पनी		
	पश्चिम क्षेत्र कंपनी	मध्य क्षेत्र कंपनी	पूर्व क्षेत्र कंपनी
	विनिमय में निर्धारित समय–सीमा के भीतर सेवा पूर्ण होने वाले प्रकरणों का प्रतिशत		
1. खराब/जले हुए ट्रांसफार्मर समय–सीमा में बदलना	शहरी क्षेत्र – 99.85% ग्रामीण क्षेत्र –99.66%	शहरी क्षेत्र – 99.33% ग्रामीण क्षेत्र –99.03%	शहरी क्षेत्र – 99.67% ग्रामीण क्षेत्र –99.74%
2. लाइन ब्रेकडाउन को समय–सीमा में ठीक करना	शहरी क्षेत्र – 99.14% ग्रामीण क्षेत्र –98.52%	शहरी क्षेत्र – 99.49% ग्रामीण क्षेत्र –99.00%	शहरी क्षेत्र – 99.95% ग्रामीण क्षेत्र –99.76%
3. फ्यूज़ को समय–सीमा में सुधारना	शहरी क्षेत्र – 100% ग्रामीण क्षेत्र –91.38%	शहरी क्षेत्र – 97.63% ग्रामीण क्षेत्र –95.09%	शहरी क्षेत्र – 99.84% ग्रामीण क्षेत्र –97.12%
4. खराब एवं जले मीटरों की समय–सीमा में जांच कर बदलना	शहरी क्षेत्र – 99.56% ग्रामीण क्षेत्र –97.78%	शहरी क्षेत्र – 99.70% ग्रामीण क्षेत्र –99..26%	शहरी क्षेत्र – 99.56% ग्रामीण क्षेत्र –99.92%
5. निम्ब दाब पर समय–सीमा में नये कनेक्शन देना	शहरी क्षेत्र – 94.09% ग्रामीण क्षेत्र –99.73%	शहरी क्षेत्र – 99.96% ग्रामीण क्षेत्र –100%	शहरी क्षेत्र –99.98% ग्रामीण क्षेत्र –99.97%
6. कनेक्शन का समय–सीमा में नामांतरण	शहरी क्षेत्र – 100% ग्रामीण क्षेत्र –99.68%	शहरी क्षेत्र – 100% ग्रामीण क्षेत्र –100%	शहरी क्षेत्र – 100% ग्रामीण क्षेत्र –100%
7. विद्युत कनेक्शन कटने के बाद समय–सीमा में पुनः जोड़ना	शहरी क्षेत्र – 99.93% ग्रामीण क्षेत्र –99.91%	शहरी क्षेत्र – 100% ग्रामीण क्षेत्र –100%	शहरी क्षेत्र – 99.99% ग्रामीण क्षेत्र –99.98%
8. बिजली के गलत बिलों का समय–सीमा में सुधार करना	शहरी क्षेत्र – 99.91% ग्रामीण क्षेत्र –99.52%	शहरी क्षेत्र – 99.82% ग्रामीण क्षेत्र –99.55%	शहरी क्षेत्र – 99.83% ग्रामीण क्षेत्र –99.88%

(ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2008–09 के दौरान उनके द्वारा समय सीमा में सेवायें उपलब्ध न कर पाने के एवज में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी गई।

(द) **खराब/जले वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या एवं प्रतिशत :**

आयोग द्वारा पावर तथा वितरण ट्रांसफार्मरों की असफलता दर जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही थी को कम किये जाने के उद्देश्य से वर्षवार मानदण्ड भी निर्धारित किये गये हैं। आयोग द्वारा वितरण कंपनियों के लिये वित्तीय वर्ष 2008–09 में खराब/जले वितरण ट्रांसफार्मरों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्थिति निम्नानुसार है ।

क्षेत्र/ कंपनी का नाम	सेवारत वितरण ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या	वित्तीय वर्ष 2008–09 कुल खराब ट्रांसफार्मरों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान खराब ट्रांसफार्मरों की प्रतिशत दर	वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान खराब ट्रांसफार्मरों की प्रतिशत दर
पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	84368	9860	11.69	11.89
मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी	74371	13179	17.72	13.11
पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी	53480	8291	15.50	16.17

(क) अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या को कम करने की उपलब्धि :

आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 के द्वितीय उपबंध के अंतर्गत समस्त मीटर रहित उपभोक्ताओं का मीटरीकरण किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये हैं। आयोग इस विषय मे कंपनियों से लगातार प्रगति प्रत्येक तीन माह पश्चात् प्राप्त कर रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रत्येक वितरण लाईसेंसधारी की निम्न लिखित उपलब्धि पाई गई है :–

<u>पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी, जबलपुर :</u>

वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंत तक इस वितरण कंपनी में लगभग 3,269 घरेलू शहरी एवं 7.01 लाख घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता अमीटरीकृत रहे। इस प्रकार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कुल घरेलू शहरी एवं घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं में अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का प्रतिशत 0.42 प्रतिशत एवं 48.58 प्रतिशत क्रमशः है।

<u>पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी, इंदौर :</u>

वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंत तक इस वितरण कंपनी में लगभग 9,202 घरेलू शहरी एवं 1.72 लाख घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता अमीटरीकृत रहे। इस प्रकार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कुल घरेलू शहरी एवं घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं में अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का प्रतिशत 1.04 प्रतिशत एवं 15.97 प्रतिशत क्रमशः है।

<u>मध्य क्षेत्र वित रण कंपनी, भोपाल :</u>

वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंत तक इस वितरण कंपनी में 17,796 घरेलू शहरी एवं 2.45 लाख घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता अमीटरीकृत रहे। इस प्रकार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कुल घरेलू शहरी एवं घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं में अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का प्रतिशत 2.97 प्रतिशत एवं 32.46 प्रतिशत क्रमशः है।

(ख) विद्युत प्रदाय के औसत घंटों की स्थिति :

विश्वसनीय (Reliable) एवं सतत् (Uninterrupted) विद्युत प्रदाय हेतु सी.ई.ए (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण) द्वारा निर्धारित मानकों पर आयोग द्वारा निम्नलिखित मानक देखे जाना है :

1. प्रत्येक 11 के.व्ही. फीडर पर औसत प्रतिमाह बिजली गुल होने की घटना।
2. प्रत्येक 11 के.व्ही. फीडर पर औसत प्रतिमाह बिजली गुल होने की अवधि मिनिट/घण्टें में।
3. प्रत्येक 11 के.व्ही. फीडर पर औसत प्रतिमाह में क्षणिक अवधि (पांच मिनिट से कम) के लिए बिजली गुल होने की घटना।

सभी संभागीय मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में वर्ष 2008–09 में प्रत्येक फीडर पर मासिक औसत बिजली के गुल होने की घटना तथा बिजली के गुल होने की अवधि का ब्यौरा प्राप्त किया गया जो निम्नलिखित स्थिति दर्शाता है :–

संभागीय मुख्यालय	प्रतिमाह औसत व्यवधान संख्या	फीडर विश्वसनीयता (औसत प्रतिमाह) गुणांक
जबलपुर	22	95.51%
सागर	52	89.02%
रीवा	52	87.53%
भोपाल	5	99.32%
ग्वालियर	7	98.93%
होशंगाबाद	11	99.37%
मुरैना	27	97.33%
इन्दौर	16	99.08%
उज्जैन	45	90.98%

जिला मुख्यालय	प्रतिमाह औसत व्यवधान संख्या	फीडर विश्वसनीयता (औसत प्रतिमाह) गुणांक
सिवनी	61	84.27%
छिंदवाड़ा	41	89.75%
नरसिंहपुर	68	81.64%
कटनी	59	78.78%
मण्डला	90	81.00%
डिण्डोरी	100	82.65%
बालाघाट	51	82.63%
छतरपुर	59	80.67%
दमोह	71	75.14%
टीकमगढ़	57	81.87%
पन्ना	71	87.43%
सतना	60	82.82%
शहडोल	56	86.67%
सीधी	99	77.44%
उमरिया	56	82.39%
अनूपपुर	87	79.15%

वैढ़न	79	79.59%
विदिशा	13	95.77%
सीहोर	19	99.09%
राजगढ़	13	97.30%
हरदा	8	99.58%
बैतूल	32	95.90%
रायसेन	11	99.08%
अशोकनगर	51	94.24%
गुना	21	94.94%
भिण्ड	24	94.71%
श्योपुर	20	95.40%
दतिया	10	98.30%
शिवपुरी	14	96.58%
खण्डवा	55	85.09%
बुरहानपुर	68	83.85.%
खरगौन	68	82.07%
धार	2	98.06%
झाबुआ	75	83.06%
बड़वानी	22	92.90%
देवास	63	84.34%
शाजापुर	16	95.86%
रतलाम	15	97.35%
मंदसौर	52	89.42%
नीमच	94	86.84%

ओद्योगिक केन्द्र/क्षेत्र	प्रतिमाह औसत व्यवधान संख्या	फीडर विश्वसनीयता (औसत प्रतिमाह) गुणांक
मण्डीदीप	4	99.58%
मालनपुर	6	98.96%
बामोर	8	99.15%
बोरेगांव	14	99.69%
मनेरी	23	97.80%
पीथमपुर	16	99.08%
चनाटोरिया	11	98.97%

नोट :

(1) उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि कॉलम (अ) में वर्णित समय–सीमाएं जो कि आयोग द्वारा निर्धारित की गई है, के अन्दर यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता सेवाएं नही दी जाती हैं तो प्रभावित व्यक्ति विनियम में निर्धारित क्षतिपूर्ति पाने का इकदार होगा। निर्धारित मानदण्डों से ऊपर समय लगने पर उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित कार्यालय अथवा शिकायत निवारण फोरम के समक्ष लिखित में दावा कर क्षतिपूर्ति का भुगतान देयक में छूट (रिबेट) के माध्यम से पा सकता है।

(2) इस प्रकाशन में प्रस्तुत जानकारी प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

आयोग सचिव